क्रम-संख्या—255

(7)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 25 अप्रैल, 1978

वैशाख 5, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1128/सत्रह-वि0-1—18-1978

लखनऊ, 25 अप्रैल, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 24 अप्रैल, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1978]

(जैसाकि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 4, 1910 की धारा 3 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, खण्ड (5) निकाल दिया जायगा।

धारा 11 का प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"11—(1) कलेक्टर और प्रत्येक अन्य आबकारी अधिकारी (जो आबकारी आयुक्त नहीं है), इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में होगा और इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये समस्त आदेशों के विरुद्ध अपील, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित रीति से, आबकारी आयुक्त को की जा सकेगी :

अपील और पुनरीक्षण

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई अपील ग्रहण नहीं की जायगी, जब तक कि उसे व्यथित व्यक्ति द्वारा, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न किया जाय, और जब तक कि अपीलकर्ता ने, यथास्थिति, कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की, यदि कोई हो, विवादग्रस्त राशि की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि की अदायगी का संतोषजनक सबूत प्रस्तुत न कर दिया हो :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि अपील प्राधिकारी ऐसे विशेष और पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की ऐसी विवादग्रस्त राशि के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड की अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकता है ।

(2) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन करने पर, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में दिये गये किसी आदेश से संबंधित अभिलेख को किसी ऐसे आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य या ऐसी कार्यवाही की नियमितता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिये मांग सकती है और उसकी परीक्षा कर सकती है, और यदि किसी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे आदेश या कार्यवाही को परिष्कृत, विखंडित, उलटना या पुनर्विचार के लिये पुनः प्रेषित करना चाहिये तो वह तद्नुसार आदेश दे सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश नहीं दिया जायगा जब तक कि उसे अपना अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि वह आबकारी आयुक्त के आदेश से तीस दिन के भीतर न दिया जाय और जब तक कि कोई अपील जहां वह ग्राह्य हो, दायर न कर दी गयी हो और आबकारी आयुक्त द्वारा निपटा न दी गयी हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि आवेदक ने, यथास्थिति कर, फीस, शास्ति, या अन्य देयों की, यदि कोई हो, विवादग्रस्त राशि की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि की अदायगी का संतोषजनक सबूत प्रस्तुत न कर दिया हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की किसी विवादग्रस्त राशि के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड की अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकती है ।"

धारा 20 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (2) निकाल दी जायगी ।

धारा 22 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 22 में (जिसमें उसका पार्श्व शीर्षक भी सम्मिलित है) शब्द "अट्ठारह वर्ष" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "इक्कीस वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

धारा 23 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 23 में, पार्श्व शीर्षक और उपधारा (1) में, शब्द "अट्ठारह वर्ष", जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "इक्कीस वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

नई धारा 28—क का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

"28-क—(1) जहां किसी यवासनी म, आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे आबकारी आयुक्त इस निमित्त प्राधिकृत करें, परीक्षण करने पर स्टाक में स्प्रिट या बियर का परिमाण स्टाक लेखे में प्रदर्शित परिमाण से अधिक पाया जाय, वहां यवासव ऐसे अधिक परिमाण पर धारा 28 के अधीन निर्धारित सामान्य दर पर उत्पाद शुल्क का देनदार होगा ।

कतिपय दशाओं में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का आरोपण

(2) जहां ऐसे परीक्षण पर स्प्रिट या बियर का परिमाण स्टाक लेखे में प्रदर्शित परिमाण से कम पाया जाय और यह कमी (यवासवनी में वाष्पन, सलेंज और अन्य प्रासंगिकता के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिए और बोतल में भरने और भण्डार में रखने से हुई हानि को पूरा करने के लिए भी दी गयी) दस प्रतिशत की छूट सीमा से अधिक हो जाय, वहां आबकारी आयुक्त दस प्रतिशत से अधिक की ऐसी कमी के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क को साधारण दर के एक सौ प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण उत्पाद शुल्क की साधारण दर के अतिरिक्त करेगा।"

धारा 49 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 49 में,--

(क) उपधारा (1) में शब्द "किसी थाने के प्रभारी अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उप निरीक्षक" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय 14" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 12" रख दिये जायेंगे।

धारा 53 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 53 में उपधारा (1) में शब्द "थाने के प्रभारी अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उप निरीक्षक" रख दिये जायेंगे।

धारा 54 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 54 में,--

(क) शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973" रख दिये जायेंगे;

(ख) प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "धारा 62 या धारा 65" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 62, धारा 64-क या धारा 65" रख दिये जायेंगे।

धारा 55 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

11--मूल अधिनियम की धारा 55 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:--

"55--धारा 60 की उपधारा (2) धारा 62 और धारा 64-क के अधीन कतिपय अपराध दण्डनीय-समस्त अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अर्थान्तर्गत अजमानतीय होंगे अजमानतीय होंगे।"

धारा 60 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

12--मूल अधिनियम की धारा 60 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:--

"60--(1) जो व्यक्ति इस अधिनियम का या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश का या इसके अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके--

अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, कब्जा, विक्रय आदि के लिये शास्ति

(क) चरस से भिन्न किसी मादक वस्तु का आयात, निर्यात या परिवहन, करता है या उसको अपने कब्जे में रखता है, या

(ख) भांग (कैनेबिस सेटाइवा) की खेती करता है, या

(ग) भांग (कैनेबिस सेटाइवा) के किसी ऐसे भाग का संग्रह या विक्रय करता है जिससे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता है, या

(घ) कोई आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है, या

(ङ) किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, वर्तन, औजार या उपकरण ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिये प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है, या

(च) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी या भाण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है, या

(छ) विक्रय के लिये किसी शराब को बोतल में बन्द करता है, या

(ज) धारा 61 में व्यवस्थित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है, या

(झ) धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वृक्षों वाले से ताड़ी चुआता है, या निकालता है,

उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो दो वर्ष तक हो सकता है और अर्थदण्ड दिया जायगा जो खण्ड (झ) के अधीन अपराध की स्थिति में ऐसी उत्पाद शुल्क की धनराशि जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या इसके अधीन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उद्ग्रहणीय होती, के दस गुने से कम न होगा और किसी अन्य स्थिति में ऐसे उत्पाद-शुल्क की राशि के दस गुने या पांच सौ रुपये से, जो भी अधिक हो, कम न होगा ।

(2) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है, या किसी चरस का आयात, निर्यात या परिवहन करता है या उसको अपने कब्जे में रखता है उसे कारावास का, जो छः मास से कम नहीं होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है, दण्ड दिया जायगा और अर्थ-दण्ड भी दिया जायगा जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है ।"

धारा 61 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 61 में (जिसमें उसका पार्श्व शीर्षक भी सम्मिलित है), शब्द "अट्ठारह" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "इक्कीस" रख दिया जायगा ।

धारा 62 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

14—मूल अधिनियम की धारा 62 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

विकृत स्प्रिट को मानव उपभोग के योग्य बनाने के लिये शास्ति

"62—जो कोई किसी ऐसी स्प्रिट को, चाहे वह भारत में निर्मित हुई हो या नहीं, जो विकृत हो गयी हो, मानव उपभोग के योग्य बनाता है या बनाने का प्रयास करता है या कब्जे में कोई ऐसी विकृत स्प्रिट रखता है जो मानव उपभोग के योग्य बनायी गयी हो या जिसके सम्बन्ध में उसे इस योग्य बनाने का कोई प्रयास किया गया हो, उसे ऐसी अवधि के लिये जो छः मास से कम नहीं होगी और जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारावास का दण्ड दिया जायगा और वह अर्थदण्ड से भी जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ यह उपधारणा की जायगी कि कोई स्प्रिट जिसके बारे में यह साबित हो जाय कि उसमें किसी मात्रा में विकारक तत्व है, विकृत स्प्रिट है या उसमें विकृत स्प्रिट मिला है या वह विकृत स्प्रिट से व्युत्पन्न है ।"

धारा 63 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 63 में, शब्द "तीन माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष"; और शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" रख दिये जायेंगे ।

धारा 64 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

16—मूल अधिनियम की धारा 64 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

लाइसेंसधारी या उसके सेवक द्वारा कतिपय कार्यों के लिये शास्ति

"64—जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस, परमिट या पास का धारक होते हुए या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए, और उसकी ओर से कार्य करते हुए—

(क) किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर, जो इस प्रकार मांगने के लिये सम्यक् रूप से अधिकृत हो, ऐसा लाइसेंस, परमिट या पास प्रस्तुत नहीं करता है, या

(ख) लाइसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करके जानबूझ कर कोई ऐसा कार्य या कार्य-लोप करता है जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्ध न हो, या

(ग) ऐसे मामले जिसके लिये धारा 60 में उपबन्ध है, से भिन्न किसी मामले में धारा 40 के अधीन बनाये गये किसी नियम का जानबूझ कर उल्लंघन करता है,

उसे प्रत्येक ऐसे अपराध के लिये अर्थ-दण्ड, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, दिया जायगा ।"

नई धारा 64-क का बढ़ाया जाना

17—मूल अधिनियम की धारा 64 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या निर्माता द्वारा अपमिश्रण आदि के लिये शास्ति

"64-क—(1) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी मादक वस्तु के विक्रय या निर्माण के लिये लाइसेंस धारक होते हुए, या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए अपने द्वारा विक्रीत या निर्मित मादक वस्तु में कोई हानिकारक भेषज या कोई अनुपयुक्त तत्व जिससे उसकी वास्तविकता या आभाषित मादकता या सान्द्रता बढ़ने की सम्भावना हो, या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम द्वारा निषिद्ध कोई पदार्थ मिलाता है या मिलाने की अनुज्ञा देता तो है जब ऐसा मिश्रण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272 के अधीन अपमिश्रण के अपराध का कोटि

में न आता हो, उसे कारावास का दण्ड जो छः मास से कम न होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है और अर्थदण्ड भी, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दो हजार तक हो सकता है, दिया जायगा ।

(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी मादक वस्तु के विक्रय या निर्माण के लिये लाइसेंसधारक होते हुए या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए किसी ऐसी शराब जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह देशी शराब है, विदेशी शराब के रूप में विक्रय करता है या विक्रयार्थ रखता या प्रदर्शित करता है, उसे कारावास का दण्ड जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और अर्थ दण्ड जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड निम्नलिखित से कम न होगा:—

(एक) प्रथम अपराध के लिए तीन मास का कारावास और दो सौ रुपयों का अर्थदण्ड, और

(दो) प्रत्येक द्वितीय और अनुवर्ती अपराधोंके लिये छः मास का कारावास और पांच सौ रुपये का अर्थ दण्ड ।"

धारा 69 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

18—मूल अधिनियम की धारा 69 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"69—यदि कोई व्यक्ति धारा 60, धारा 62, धारा 63 या धारा 65 के अधीन या उन धाराओं के उपबन्धों के अधीन जैसे कि वे समय-समय पर थे, दण्डनीय किसी अपराध के लिये पहले सिद्ध दोष ठहराये जा चुकने के पश्चात् इन धाराओं में से किसी धारा के अधीन दण्डनीय अपराध करता है और सिद्ध दोष ठहराया जाता है, तो वह उस दण्ड से दुगुना दण्ड पाने का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन पहली दोषसिद्धि पर आरोपित किया जा सकता हो :

पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात् वर्द्धित दण्ड

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 60 की उपधारा (1), या धारा 63 या धारा 65 के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये दोष-सिद्धि की स्थिति में अर्थ-दण्ड सहित कम से कम तीन मास की अवधि के कारावास का दण्ड दिया जायगा और धारा 60 की उपधारा (2) या धारा 62 के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये दोषसिद्धि की स्थिति में अर्थ-दण्ड सहित कम से कम एक वर्ष की अवधि के कारावास का दण्ड दिया जायगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे अपराध के लिये, जिस पर अन्यथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 21 के अधीन सरसरी तौर पर विचार किया जा सकता हो, इस प्रकार विचार किये जाने में रुकावट नहीं डालेगी ।"

धारा 69-क का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 69-क में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 60 के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (ङ), खण्ड (च) या खण्ड (ज) या धारा 62" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), खण्ड (घ), खण्ड (ङ) या खण्ड (छ) या उपधारा (2) या धारा 62" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, अंक "1898 ई0" के स्थान पर अंक "1973" रख दिये जायेंगे ।

धारा 70 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 70 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्द और अंक "धारा 63" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 63, धारा 64-क" रख दिये जायेंगे ।

धारा 71-क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

21—मूल अधिनियम की धारा 71-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"71-क—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 306 और 308 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता की धारा 306 में उल्लिखित अपराधों के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।"

क्षमा आदि से संबंधित उपबन्ध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों पर लागू होंगे

धारा 74 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

22—मूल अधिनियम की धारा 74 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्:—

अपराधों का शमन

"74-(1) कोई आबकारी अधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका लाइसेंस, परमिट या पास धारा 34 के अधीन निरसित या निलम्बित किये जाने योग्य हो या जिसके सम्बन्ध में युक्तियुक्त सन्देह हो कि उसने धारा 64 या धारा 68 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, यथास्थिति, ऐसे निरसन या निलम्बन के बदले में या किये गये अपराध के शमन के रूप में पांच हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकता है और ऐसे सभी मामलों में जिनमें इस अधिनियम के अधीन जब्त की जाने योग्य कोई सम्पत्ति अभिगृहीत की गयी हो, उस सम्पत्ति के (ऐसे अधिकारी द्वारा अनुमानित) मूल्य का भुगतान किये जाने पर उसे छोड़ सकता है।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, ऐसी धनराशि या ऐसे मूल्य या दोनों का भुगतान कर दिये जाने पर उस व्यक्ति को, यदि अभिरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जायगा और अभिगृहीत समस्त सम्पत्ति छोड़ दी जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी दण्ड न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जायगी न जारी रखी जायगी। शमन के रूप में ऐसी धनराशि स्वीकार करने को दोषमुक्त समझा जायगा और किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध उसी कार्य के अभिदेश में कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायगी।

शास्ति-आरोपण

74-क-(1) यदि इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस, परमिट या पास का धारक या ऐसे धारक का कोई कर्मचारी लाइसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई आबकारी अधिकारी पांच हजार रुपये से अनधिक की शास्ति आरोपित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति आरोपित करने का कोई आदेश नहीं दिया जायगा जब तक कि लाइसेंस, परमिट या पास के धारक या सम्बद्ध कर्मचारी को—

(क) उन आधारों को जिन पर इस धारा के अधीन कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है, सूचित करते हुए लिखित नोटिस न दे दी गयी हो;

(ख) ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे आधार के विरुद्ध लिखित रूप में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो; और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(3) कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (1) के अधीन शास्ति आरोपित की जाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उन्हीं तथ्यों पर अभियोजित नहीं किया जा सकेगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1976 की धारा 2 का संशोधन

23—उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 2 में प्रथम वाक्य में, शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1972" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे समझे जायेंगे।

वैधीकरण

24—मूल अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, आबकारी आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व जितना परिणाम कम है उतने के सम्बन्ध में धारा 28-क में, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ायी गयी है, विनिर्दिष्ट दर से अनधिक दर पर आरोपित कोई उद्ग्रहण, चाहे उसे जुर्माना या किसी अन्य नाम से वर्णित किया जाय, उक्त धारा 28-क के अधीन विधिमान्यतः आरोपित "अतिरिक्त उत्पाद शुल्क" समझा जायेगा मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन और अपवाद

25—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश 1978 और उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनयम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव

THE UTTAR PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 1978

(U. P. ACT NO. 9 OF 1978)

[*Authoritative English text of the Uttar Pradesh Abkari (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978]

AN
ACT

further to amend the United Provinces Excise Act, 1910

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1978.

Amendment of section 3 of U. P. Act IV of 1910.

2. In section 3 of the United Provinces Excise Act, 1910, hereinafter referred to as the principal Act, clause (5) shall be *omitted.*

Substitution of section 11.

3. *For* section 11 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :—

"11. (1) The Collector, and every other Excise Officer (not being the Excise Commissioner) shall, in respect of all proceedings under this Act, be subject to the control of the Excise Commissioner and all orders passed by Collector or such other officer under this Act, shall be appealable to the Excise Commissioner in the manner prescribed by rules made by the State Government in this behalf :

Appeals and revisions.

Provided that no appeal shall be entertained under this sub-section unless it is preferred by the aggrieved person within thirty days from the date of communication of such order, and unless the appellant has furnished satisfactory proof of having paid a sum of not less than 25 per cent of the disputed amount of tax, fee, penalty or other dues, if any, as the case may be :

Provided further that the appellate authority may, for special and adequate reasons to be recorded in writing, waive or relax the requirements of the preceding proviso in respect of such disputed amount of tax, fees, penalty or other dues.

(2) The State Government may either *suo motu* or on an application by an aggrieved person call for and examine the records relating to any order passed in any proceedings under this Act, for the purposes of satisfying itself as to the correctness, legality or propriety of any such orders or as to the regularity of such proceedings ; and, if in any case it appears to the State Government that such order or proceedings should be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass orders accordingly :

Provided that no order adversely affecting any party shall be passed under this section unless he has been given a reasonable opportunity of making his representation :

Provided further that no application under this sub-section shall be entertained unless it is preferred within thirty days from the date of the order of the Excise Commissioner and unless an appeal, where it lies, has been filed and disposed of by the Excise Commissioner :

Provided also that no application for revision shall be entertained unless the applicant has furnished satisfactory proof of having paid a sum of not less than 25 per cent of the disputed amount of tax, fee, penalty or other dues, if any as the case may be :

---

*(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated April 5, 1978.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on April 7, 1978 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 19, 1978.)

Received the assent of the Governor on April 24, 1978 under Article 200, of the Constitution of India and was published in part 1 (*a*) of the Legislative Supplement of the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary* dated April 25, 1978.

Provided also that the State Government may, for reasons, to be recorded in writing, waive, or relax the requirements of the preceding proviso in respect of such disputed amount of tax, fees, penalty or other dues."

Amendment of section 20.

4. In section 20 of the principal Act, sub-section (2) shall be *omitted.*

Amendment of section 22.

5. In section 22 of the principal Act, including the marginal heading thereof *for* the words "eighteen years" wherever they occur the words "twenty-one years" shall be *substituted.*

Amendment of section 23.

6. In section 23 of the principal Act, in the marginal heading and in sub-section (1) *for* the words "eighteen years" wherever they occur the words "twenty-one years" shall be *substituted.*

Insertion of new section 28-A.

7. *After* section 28 of the principal Act, the following section shall be inserted and be deemed always to have been *inserted,* namely :—

Imposition of additional duty in certain cases.

"28-A. (1) Where the quantity of spirit or beer in stock in a brewery is found, on examination by such officer of the Excise Department as may be authorised by the Excise Commissioner in this behalf to exceed the quantity in hand as shown in the stock account, the brewery shall be liable to pay duty on such excess at the ordinary rates fixed under section 28.

(2) Where the quantity of spirit or beer is found less than that shown in the stock account on such examination and deficiency exceeds ten per cent (allowance to that extent being made to cover losses due to evaporation, sullage and other contingencies within the brewery, and also to cover loss in bottling and storage), the Excise Commissioner shall levy an additional duty at the rate of one hundred per cent of ordinary rates of duty in respect of such deficit as exceeds ten per cent over and above the ordinary rates of duty."

Amendment of section 49.

8. In section 49 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "an Officer-in-charge of a Police Station" the words "Sub-Inspector" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (2), *for* the words and figures "Chapter XIV of the Code of Criminal Procedure, 1898" the words and figures "Chapter XII of the Code of Criminal Procedure, 1973" shall be *substituted.*

Amendment of section 53.

9. In section 53 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "an Officer in-charge of a Police Station" the words "Sub-Inspector" shall be *substituted.*

Amendment of section 54.

10. In section 54 of the principal Act,—

(*a*) *for* the words and figures "Code of Criminal Procedure, 1898" the words and figures "Code of Criminal Procedure, 1973" shall be *substituted;*

(*b*) in the proviso, *for* the words and figures "section 62 or section 65" the words and figures "section 62, section 64-A or section 65" shall be *substituted.*

Substitution of new section for section 55.

11. *For* section 55 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :—

Certain offences to be non-bailable.

"55. All offences punishable under sub-section (2) of section 60, section 62 and section 64-A, shall be non-bailable within the meaning of the Code of Criminal Procedure, 1973."

Substitution of new section for section 60.

12. *For* section 60 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :—

Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale etc.

"60. (1) Whoever, in contravention of this Act or of any rule or order made thereunder, or of any licence, permit or pass obtained thereunder :—

(*a*) imports, exports, transports or possesses any intoxicant other than *charas ;* or

(*b*) cultivates any hemp plant (*cannabio sativa*); or

(*c*) collects or sells any portion of the hemp plant (*cannabis sativa*) from which any intoxicating drug can be manufactured ; or

(*d*) constructs or works any distillery, brewery or vintnery ; or

(*e*) uses, keeps or has in his possession any material, still, utensil, implement or apparatus, whatsoever, for the purpose of manufacturing any intoxicant other than *tari* ; or

(*f*) removes any intoxicant from any distillery, brewery, vintnery or warehouse licensed, established or continued under this Act ; or

(*g*) bottles any liquor for the purposes of sale ; or

(*h*) sells any intoxicant, save in the case provided for by section 61 ; or

(*i*) taps, or draws *tari,* from any *tari*-producing tree in the areas notified under section 42;

shall be punished with imprisonment which may extend to two years and with fine which shall, in the case of an offence under clause (i) not be less than ten times the amount of duty which would have been leviable if such intoxicant had been dealt with in accordance with this Act and the rules and orders made thereunder or in accordance with any licence, permit or pass obtained thereunder, and in any other case, not be less than ten times the amount of such duty, or five hundred rupees. whichever is greater.

(2) Whoever in contravention of this Act or any rule or order made thereunder or of any licence, permit or pass, obtained under this Act, manufactures any intoxicant or imports, exports, transports or possesses any *charas,* shall be punished with imprisonment which shall not be less than six months and which may extend to three years and also with fine which shall not be less than two thousand rupees and which may extend to five thousand rupees."

Amendment of section 61.

13. In section 61 (including the marginal heading thereof) of the principal Act, *for* the word "eighteen" wherever it occurs, the word "twenty-one" shall be *substituted.*

Substitution of new section for section 62.

14. *For* section 62 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :—

Penalty for rendering denatured spirit fit for human consumption.

"62. Whoever renders or attempts to render fit for human consumption any spirit, whether manufactured in India or not, which has been denatured, or has in his possession any denatured spirit which has been rendered fit for human consumption or in respect of which any attempt has been made to render it so fit shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months and which may extend to three years, and shall also be liable to fine which may extend to five thousand rupees.

Explanation—For the purposes of this section, it shall be presumed that any spirit which is proved to contain any quantity of any denaturant, is, or contains or has been derived from denatured spirit."

Amendment of section 63.

15. In section 63 of the principal Act, *for* the words "three months" the words "one year" and *for* the words "one thousand" the words "five thousand" shall be *substituted.*

Substitution of new section for section 64.

16. *For* section 64 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :—

Penalty of certain acts by licensee or his servant.

"64. Whoever, being the holder of a licence, permit or pass granted under this Act, or being in the employ of such holder and acting on his behalf—

(*a*) fails to produce such licence, permit or pass on the demand of any Excise Officer or of any other person duly empowered to make such demand ; or

(*b*) wilfully does or omits to do, anything in breach of any of the conditions of the licence, permit or pass, not otherwise provided for in this Act ; or

(*c*) save in a case provided for by section 60, wilfully contravenes any rule made under section 40,

shall for each such offence, be punished with fine which may extend to two thousand rupees."

Insertion of new section 64-A.

17. *After* section 64 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"64-A. (1) Whoever, being the holder of a licence for the sale or manufacture of any intoxicant under this Act or a person in the employ of such holder, mixes or permits to be mixed with the intoxicant sold or manufactured by him any noxious drug or any foreign ingredient likely to add to its actual or apparent intoxicating quality or strength, or any article prohibited by any rule made under this Act, when such mixture does not amount to an offence of adulteration under section 272 of the Indian Penal Code, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months and which may extend to three years and also with fine which shall not be less than one thousand rupees and which may extend to two thousand rupees.

Penalty for adulteration etc. by licensed vendor or manufacturer.

(2) Whoever, being the holder of a licence for the sale or manufacture of any intoxicant under this Act, or a person in the employ of such holder sells or keeps or exposes for sale, as foreign liquor, liquor which he knows or has reason to believe to be country liquor, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine which may extend to two thousand rupees :

Provided that the punishment shall not be less than—

(i) imprisonment for three months and fine of two hundred rupees for the first offence, and

(ii) imprisonment for six months and fine of five hundred rupees for each of the second and subsequent offences."

Substitution of new section for section 69.

18. *For* section 69 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"69. If any person, after having been previously convicted of an offence punishable under section 60, section 62, section 63 or section 65 or under the provisions of those sections as they stood from time to time subsequently commits and is convicted of an offence punishable under any of these sections, he shall be liable to twice the punishment which may be imposed on a first conviction under this Act :

Enhanced punishment after previous conviction.

Provided that in the case of conviction for a second or subsequent offence under sub-section (1) of section 60, section 63 or section 65 a sentence of imprisonment for a term of not less than three months, with fine, and in the case of conviction for a second or subsequent offence under sub-section (2) of section 60 or section 62 a sentence of imprisonment for a term of not less than one year, with fine, shall be passed :

Provided further that nothing in this section shall prevent any offence that might otherwise have been tried summarily under Chapter XXI of the Code of Criminal Procedure, 1973 from being so tried."

Amendment of section 69-A.

19. In section 69-A of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words and figures "clause (*b*), clause (*c*), clause (*e*), clause (*f*), or clause (*h*) of section 60, or section 62" the words and figures "clause (*b*), clause (*d*), clause (*e*) or clause (*g*) of sub-section (1) or of sub-section (2) of section 60 or of section 62" shall be *substituted* ;

(*b*) in sub-section (2), for the figures "1898" the figures '1973" shall be *substituted*.

Amendment of section 70.

20. In section 70 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*a*) *for* the word and figures "section 63", the words, figures and letter "section 63, section 64-A," shall be *substituted*.

21. *For* section 71-A of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :— Substitution of new section for section 71-A.

"71-A. The provisions of sections 306 and 308 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply in relation to offences punishable under this Act as they apply in relation to offences mentioned in section 306 of the said Code." Provisions regarding pardan, etc. to apply to offences under the Act.

22. *For* section 74 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :— Substitution of new section for section 74.

"74. (1) Any Excise Officer specially empowered by the State Government in that behalf may accept from any person whose licence, permit or pass is liable to be cancelled or suspended under section 34 or who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under section 64 or section 68, a sum of money not exceeding five thousand rupees in lieu of such cancellation or suspension or by way of composition for the offence which may have been committed, as the case may be, and in all cases in which any property has been seized as liable to confiscation under this Act, may release the same on payment of the value thereof (as estimated by such officer). Compounding of offences.

(2) On the payment by such person of such sum of money or such value or both, as the case may be, such person, if in custody, shall be set at liberty, and all the property seized may be released and no proceeding shall be instituted or continued against such person in any criminal court. The acceptance of such sum of money by way of composition shall be deemed to amount to an acquittal and in no case shall any further proceedings be taken against such person or property with reference to the same act.

74-A. (1) If a holder of a licence, permit or pass granted under this Act or an employee of such holder contravenes any of the conditions of the licence, permit or pass or any rule made under this Act, any Excise Officer authorised by the State Government in this behalf may impose a penalty not exceeding five thousand rupees. Imposition of penality.

(2) No order imposing a penalty shall be made under sub-section (1) unless the holder of the licence, permit or pass or the employee concerned is given—

(*a*) a notice in writing informing him of the grounds on which it is proposed to proceed under this section ;

(*b*) a reasonable opportunity of making a representation in writing, within such time as may be specified in the notice, against such grounds ; and

(*c*) a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(3) No person on whom a penalty is imposed under sub-section (1) shall be liable to prosecution in respect of any offence under this Act on the same facts."

23. In section 2 of the Uttar Pradesh Excise (Amendment) (Re-enactment and Validation) Act, 1976, in the opening sentence, *for* the words and figures "उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1972" the words and figures "उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम 1972" shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*. Amendment of section 2 of U. P. Act no. 5 of 1976.

24. Notwithstanding anything contained in the principal Act or any other law for the time being inforce, any levy imposed by the Excise Commissioner, before the commencement of this Act, in respect of deficit quantity at the rate not exceeding the rate specified in section 28-A, as inserted in the principal Act by this Act, whether described as 'fine' or by any other name, shall be deemed to be 'Additional duty' validly imposed under the said section 28-A, as if the provisions of this Act, were in force at all material times. Validation.

क्रम-संख्या | रजिस्टर संख्या | पत्र-संख्या और तारीख | विषय

Repeal and savings

U. P. Ordinance no. 5 of 1978 and U.P. Ordinance no. 6 of 1978.

25. (1) The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 1978 and the Uttar Pradesh Excise (Second Amendment) Ordinance, 1978 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such appeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by any of the Ordinances referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,

R. C. DEO SHARMA,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 34 सा० (विधा०) 25-4-78—1978—700 (मेक०)।